

प्ररूप 7

[नियम 13(2) और 26 देखिए]

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने की वांछा पर आक्षेप के लिए आवेदन

सेवा में

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

विधान सभा / £ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के।

महोदय,

@ मैं उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मेरे आक्षेप के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी जा रही हैं।

या

@ मैं निवेदन करता हूँ कि * मुझसे / *नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि इसमें आगे कथित कारणों से हटाए जाने के लिए अपेक्षित हैं :

1. @ उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसका नाम सम्मिलित किये जाने पर आक्षेप किया गया है :		नाम :		उपनाम (यदि कोई है)
@ उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसकी प्रविष्टि हटायी जानी है :		निर्वाचक नामावली के उस भाग की सं० जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है	उस भाग में उसका / उसकी क्र० सं० :	निर्वाचक की फोटो पहचान पत्र सं० (यदि जारी किया गया है)
# 2.	आक्षेपकर्ता के ब्यौरे	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
	लिंग (पुरुष / स्त्री) :	निर्वाचक नामावली के उस भाग की सं० जिसमें आक्षेपकर्ता का नाम सम्मिलित किया गया है :		उस भाग में उसका / उसकी क्र० सं०
पिता	का नाम	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
माता				
पति				
3. @ आक्षेपकर्ता / @ नाम हटाए जाने वाले व्यक्ति के मामूली तौर पर निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता)				
मकान / गृह सं० :				
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क :				
नगर/ग्राम :				
डाकघर :		पिन कोड :		
तहसील/तालुक/मंडल/थाना :				
जिला :				

£ ऐसे संघ राज्यक्षेत्र जहां विधान सभा नहीं है और जम्मू-कश्मीर राज्य के मामले में।

@ पहला विकल्प, निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने / उसका पुनर्विलोकन के लिए जाने के दौरान सुसंगत होगा। दूसरा विकल्प निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसे लगातार अद्यतन करने के दौरान सुसंगत होगा।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

भाग 2 वहाँ नहीं भरा जाना है जहाँ आवेदक स्वयं से संबंधित प्रविष्टि को हटाने की वांछा करता है।

आवेदन की रसीद

** श्री/श्रीमती/कुमारी.....

जो..... **का/की निवासी है, से प्ररूप 7 में आवेदन प्राप्त हुआ।

तारीख.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले आफिसर के हस्ताक्षर (पता).....

** आवेदन द्वारा भरा जाएगा।